फाइल सं.: CRL-2020-21-000031

परामर्श

विषय: स्थानीय भंडार में बढ़ती अधिशेष उपलब्धता के मद्देनज़र सेनेगल द्वारा चावल आयात पर अस्थायी रोक – संबंधी।

प्रेस रिपोर्टों, व्यापारिक अभिमतों तथा भारतीय दूतावास से प्राप्त सूचना के अनुसार, 20 नवंबर 2025 को आयोजित एक बैठक में सेनेगल के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय ने चावल (डीआईपीए) के लिए आयात घोषणा-पत्रों के निर्गमन को एक माह की अवधि के लिए अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है।

यह उपाय, जिसकी घोषणा बुधवार, 12 नवंबर को की गई, बाज़ार विनियमन एजेंसी (एआरएम) द्वारा उत्पादकों, व्यापारियों, प्रसंस्करणकर्ताओं, सरकारी एजेंसियों एवं विकास साझेदारों के साथ आयोजित एक बैठक में अनुमोदित किया गया था।

प्राधिकारियों ने बताया कि यह कदम अस्थायी रूप से स्थानीय स्तर पर अविक्रीत चावल के भंडार को खाली करने में सहायता हेतु चावल के आयात को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। अक्टूबर माह में, सेनेगल नदी घाटी के दगाना विभाग के चावल उत्पादकों ने चेतावनी दी थी कि 2025 की फसल से प्राप्त लगभग 1,95,000 टन धान एवं चावल सस्ते आयातित चावल की प्रतिस्पर्धा के कारण अविक्रीत रहने के जोखिम में हैं।

उपरोक्त के संदर्भ में, एपीडा फिलहाल सेनेगल सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध वापस लिए जाने तक सेनेगल को गैर-बासमती चावल के निर्यात हेतु आरसीएसी जारी करना निलंबित रखेगा।

विनीता सुधांशु
महाप्रबंधक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21.11.2025